न्यायालय : सहायक कलक्टर (फास्ट-ट्रैक) भादरा, जिला हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी : श्रीमती निधि उड़सरिया आरएएस

[illegible] सं0 : 126/2024

[illegible]:
1. हवासिंह पुत्र महावीर जाति जाट निवासी डाबड़ी तहसील भादरा।

:– वादी

बनाम

1. महावीर पुत्र शुभकरण जाति जाट निवासी डाबड़ी तहसील भादरा।
2. सावित्री पत्नी महावीर जाति जाट निवासी डाबड़ी तहसील भादरा।
3. निर्मला पुत्री महावीर जाति जाट निवासी डाबड़ी तहसील भादरा।
4. उम्मेदसिंह पुत्र महावीर जाति जाट निवासी डाबड़ी तहसील भादरा।
5. सुमन पुत्री गीता जाति जाट निवासी डाबड़ी तहसील भादरा।
6. सुनिल कुमार पुत्र गीता जाति जाट निवासी डाबड़ी तहसील भादरा।
7. सिलोचना पुत्री गीता जाति जाट निवासी डाबड़ी तहसील भादरा।
8. राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार राजस्व भादरा।

:– प्रतिवादीगण

दावा बाबत : इस्तकरार हक

अन्तर्गत धारा 88 राज0काश्त0अधि0 1955

उपस्थिति : वकील श्री नरेन्द्र शर्मा **: वादी**

वकील श्री राधेश्याम **: प्रतिवादी सं0 1 ता 7**

निर्णय **दिनांक :** 17.9.25

संक्षेप में वाद के तथ्य इस प्रकार है कि रोही मौजा डाबड़ी के खाता सं0 256/261 के ख0सं0 425 की 3.8440 है0, ख0सं0 427 की 0.8470 है0, ख0सं0 433 की 2.0360 है0 तथा ख0सं0 477 की 3.8570 है0 कुल खसरा 4 की 10.5840 है0 बारानी वादभूमि प्रतिवादी सं0 1 महावीर के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज है।

वादीगण एवं प्रतिवादीगण हिन्दू है तथा हिन्दू विधि से शासित होते है। वादभूमि वादीगण की दादालाई पैतृक कृषि भूमि है जिसमें वादी एवं प्रतिवादीगण का जन्म से हक एवं अधिकार निहित है। वादी ने प्रतिवादीगण को वादभूमि में वादी के खातेदारी हकों की घोषणा कर राजस्व रिकार्ड दुरूस्त करवाने के लिए कहा तो वे ऐसा करने से साफ इन्कार हो गये।

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। सम्मन तामील होने के उपरान्त वादी एवं प्रतिवादी सं0 1 ता 7 द्वारा आपसी सहमती से राजीनामा तथा संशोधित राजीनामा पेश किया गया। प्रतिवादी सं0 8 द्वारा जबावदावा पेश किया गया। प्रतिवादीगण द्वारा राजीनामा पेश किये जाने पर तनकी की कोई आवश्यकता नही है। अतः पत्रावली में साक्ष्य करवाया गया।

साक्ष्य वादी में हवासिंह पुत्र महावीर जाति जाट निवासी डाबड़ी तहसील भादरा के बयान करवाये गये। दस्तावेजी साक्ष्य [illegible] रोही मौजा डाबड़ी के खाता संख्या 256/261 संवत 2075–78 प्रदर्श 1, सदस्य प्रमाण पत्र [illegible] डाबड़ी प्रदर्श 3, चित्रप्रति मृत्यु प्रमाण पत्र गीता प्रदर्श 4ए, वारिस प्रमाण पत्र [illegible] प्रदर्श 5 प्रदर्शित करवाये गये।

बहस उभयपक्ष सुनी गई। दौराने बहस वकील वादी [illegible]द के तथ्यों को दौहराते कथन किया कि वाद भूमि वादी की दादालाई पैतृक कृषि भूमि है जिसमें वादी प्रतिवादीगण का जन्म से हक हिस्सा है। उक्त वाद भूमि प्रतिवादी सं0 1 के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज होने पर वादी एवं प्रतिवादीगण के हकों पर विपरित असर पड़ता है। इस

Signature Not Verified
Digitally signed by Nidhi Udsaria
Date: 2025.10.17 16:44:40 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रैक) भादरा

Scanned with CamScanner

..र मुताबिक राजीनामा व वाद में वर्णित भूमि पैतृक सम्पति साबित होने पर वाद वादी ..की किये जाने हेतु निवेदन किया।

न्यायालय द्वारा विद्वान अभिभाषक की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली पर प्रस्तुत ..तावेज का ध्यान पूर्वक अवलोकन किया गया। हस्तगत प्रकरण में वादी ने रोही मौजा ..बड़ी के राजस्व रिकार्ड में अपने पिता के नाम दर्ज भूमि में अपने हकों की घोषणा करवाने ..तु वाद पेश किया है। वादी ने दावा की पुष्टि में सत्यप्रतिलिपि जमाबंदी व सदस्य प्रमाण पत्र ..दर्श 1 से 5 प्रदर्शित करवाये। रोही मौजा डाबड़ी के खाता सं0 256/261 के ख0सं0 425 ..की 3.8440 है0, ख0सं0 427 की 0.8470 है0, ख0सं0 433 की 2.0360 है0 तथा ख0सं0 477 ..की 3.8570 है0 कुल खसरा 4 की 10.5840 है0 बारानी वादभूमि प्रतिवादी सं0 1 महावीरसिंह अकेले की बजाय वादी हवासिंह को 4.2336 है0, प्रतिवादी संख्या 1 महावीर सिंह को 2.1168 है0 एवं प्रतिवादी संख्या 4 उम्मेदसिंह को 4.2336 है0 के खातेदार घोषित किये जाए चुंकि प्रतिवादी संख्या 3 व 5 ता 7 ने अपना हक हिस्सा वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 व 4 के पक्ष में त्याग कर शुन्य कर लिया है। इस प्रकार वाद वादी मुताबिक राजीनामा व पैतृक सम्पति के आधार पर काबिल स्वीकार होने पर स्वीकृत किया जाता है।

क्रियात्मक आदेश

अतः वाद वादी साबित होने के कारण मुताबिक राजीनामा डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा डाबड़ी के खाता सं0 256/261 के ख0सं0 425 की 3.8440 है0, ख0सं0 427 की 0.8470 है0, ख0सं0 433 की 2.0360 है0 तथा ख0सं0 477 की 3.8570 है0 कुल खसरा 4 की 10.5840 है0 बारानी वादभूमि प्रतिवादी सं0 1 महावीरसिंह अकेले की बजाय वादी हवासिंह को 4.2336 है0, प्रतिवादी संख्या 1 महावीर सिंह को 2.1168 है0 एवं प्रतिवादी संख्या 4 उम्मेदसिंह को 4.2336 है0 के खातेदार घोषित किये जाते है। चुंकि प्रतिवादी संख्या 3 व 5 ता 7 ने अपना हक हिस्सा वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 व 4 के पक्ष में त्याग कर शुन्य कर लिया है। यदि कृषि भूमि बैंक के रहन है तो रहन मुक्त होने के उपरान्त ही उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज कर रिकार्ड दुरूस्त किया जावे। खर्चा वाद उभय पक्ष अपना अपना वहन करे। पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 17.9.25 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(निधि उड़सरिया)RAS
सहायक कलक्टर (फास्ट-ट्रैक)
भादरा, जिला हनुमानगढ़

Signature Not Verified

Digitally signed by Nidhi Udsaria
Date: 2025.10.17 16:44:40 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamSca

न्यायालय : सहायक कलक्टर (फास्ट-ट्रैक) भादरा, जिला हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी : श्रीमती निधि उड़सरिया आरएएस

प्रकरण सं0 : 126/2024

उनवान :

1. हवासिंह पुत्र महावीर जाति जाट निवासी डाबड़ी तहसील भादरा।

:- वादी

बनाम

1. महावीर पुत्र शुभकरण जाति जाट निवासी डाबड़ी तहसील भादरा।
2. सावित्री पत्नी महावीर जाति जाट निवासी डाबड़ी तहसील भादरा।
3. निर्मला पुत्री महावीर जाति जाट निवासी डाबड़ी तहसील भादरा।
4. उम्मेदसिंह पुत्र महावीर जाति जाट निवासी डाबड़ी तहसील भादरा।
5. सुमन पुत्री गीता जाति जाट निवासी डाबड़ी तहसील भादरा।
6. सुनिल कुमार पुत्र गीता जाति जाट निवासी डाबड़ी तहसील भादरा।
7. सिलोचना पुत्री गीता जाति जाट निवासी डाबड़ी तहसील भादरा।
8. राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार राजस्व भादरा।

:- प्रतिवादीगण

आज यह वाद न्यायालय सहायक कलक्टर फास्ट-ट्रैक भादरा के समक्ष वकील वादी श्री नरेन्द्र शर्मा एवं वकील प्रतिवादीगण श्री राधेश्याम की उपस्थिति में निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर एवं वाद वादी साबित होने के कारण मुताबिक राजीनामा डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि कि रोही मौजा डाबड़ी के खाता सं0 256/261 के ख0सं0 425 की 3.8440 है0, ख0सं0 427 की 0.8470 है0, ख0सं0 433 की 2.0360 है0 तथा ख0सं0 477 की 3.8570 है0 कुल खसरा 4 की 10.5840 है0 बारानी वादभूमि प्रतिवादी सं0 1 महावीरसिंह अकेले की बजाय वादी हवासिंह को 4.2336 है0, प्रतिवादी संख्या 1 महावीर सिंह को 2.1168 है0 एवं प्रतिवादी संख्या 4 उम्मेदसिंह को 4.2336 है0 के खातेदार घोषित किये जाते है। चुंकि प्रतिवादी संख्या 3 व 5 ता 7 ने अपना हक हिस्सा वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 व 4 के पक्ष में त्याग कर शुन्य कर लिया है। यदि कृषि भूमि बैंक के रहन है तो रहन मुक्त होने के उपरान्त ही उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज कर रिकार्ड दुरूस्त किया जावे। खर्चा वाद उभय पक्ष अपना अपना वहन करे।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 17.9.25 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

Signature Not Verified

Digitally signed by Nidhi Udsaria
Date: 2025.10.17 16:44:40 IST
Reason: SelfAttested

(निधि उड़सरिया) RAS
सहायक कलक्टर (फास्ट-ट्रैक)
भादरा, जिला हनुमानगढ़

Scanned with CamScanner